राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा मण्डल राजस्थान,

(पाठ्यचर्या विकास प्रकोष्ठ)

डब्ल्यू–6 रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर

कमांक एफ4(161)प्राशिमं/पाविप्र/10/ दिनांक

प्रधानाचार्य,

राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय,

अजमेर/अलवर/बॉसवाडा/बाड़मेर/भरतपुर/बीकानेर/चित्तौड़गढ़/खेतानजयपुर/जोधपुर/कोटा/पाली/सवाईमाधोपुर/श्रीगंगानगर/सिरोही/नीमराना/राजसमद/झालावाड़/सीकर/चूरू/बिडला टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीटयूट पिलानी/विद्या भवन पॉलीटेक्निक महाविद्यालय उदयपुर।

राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, अजमेर, बीकानेर।

विषयः– सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत चेक पाइन्ट 6.4.2 में आये विद्यार्थियों को अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

संदर्भः– विशेषाधिकारी महोदय का पत्रांक प.12(9)त.शि./2005 दिनांक 14.10.2010.

राज्य सरकार द्वारा प्रेषित किये गये संदर्भित पत्र की अनुपालना में सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत चेक पाइन्ट 6.4.2 में आये विद्यार्थियों को अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा निर्देश प्रदान किये जाते हैं :–

1. मण्डल में सत्र् 2004–05 में पंजीकृत सेमेस्टर प्रणाली के उन सभी विद्यार्थियों को अपने अनुर्तीण रहे विषयों को बाह्य छात्र के रूप में उर्तीण करने के लिए अतिरिक्त अनुकम्पा अवसर प्रदान किया जायेगा जिन विद्यार्थियों का मण्डल में नामांकन चेक पाईन्ट 6.4.2 के अन्तर्गत मई 10 में निरस्त हुआ है।
2. अतिरिक्त अवसर के उपभोग हेतु विद्यार्थी अपने प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर के अनुतीर्ण रहे विषयों की सैद्धान्तिक व प्रायोगिक परीक्षायें मण्डल द्वारा नवम्बर 10 व द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठ्म सेमेस्टर के अनुत्तीर्ण रहे विषयों की सैद्धान्तिक व प्रायोगिक परीक्षाऐं मण्डल द्वारा मई 2011 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में बाह्य छात्र के रूप में सम्मिलित होकर दे सकेगा।
3. इस व्यवस्था के द्वारा विद्यार्थी अपने प्रत्येक अनुत्तीर्ण हुए विषय के लिए अधिकतम एक अवसर प्राप्त कर सकेगा।
4. विद्यार्थियों के द्वारा पूर्व में अर्जित सेशनल अंक यथावत रहेंगे।
5. कोई भी विद्यार्थी नियमित विद्यार्थी के रूप में अपना पंजीकरण नहीं करवा सकेगा। केवल बाह्य विद्यार्थी इन अवसरों का उपभोग कर सकेंगे।
6. अतिरिक्त अवसर का उपभोग करने हेतु विद्यार्थी को परीक्षा फार्म के साथ प्रार्थना पत्र देना होगा जिसमें वह अनुर्तीण रहने के कारणों को स्पष्ट करेगा। संस्था प्रधान प्रत्येक प्रार्थना पत्र को अपनी टिपण्णी के साथ अग्रेषित करेगे। विद्यार्थी के प्रार्थना पत्र एंव प्रधानाचार्य की टिपण्णी के आधार पर विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
7. मण्डल द्वारा बिना कोई कारण बताये किसी भी विद्यार्थी का परीक्षा फार्म निरस्त किया जा सकता है।
8. विद्यार्थी मण्डल द्वारा नवम्बर 10 (1, 3 व 5 सेमेस्टर) व मई 2011 (2, 4 व 6 सेमेस्टर) में आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षाओं के अतिरिक्त किसी भी अन्य परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं होगा।
9. अन्य नियम यथावत रहेंगे।

सभी विद्यार्थियों को तद्नुसार सूचित करें। भवदीय

संयुक्त निदेशक एवं सचिव

d/cdc/f 161